

है।

25/10  
21

पञ्जाब की प्राप्ति। कबिल इफीलांफे अनुग  
न्यायालय के जप पुकारे जाने पर ना लो  
इफीलांफे ना ही कबिल इफीलांफे न्यायालय  
के सपके इफातजार हुये। अतः एल्बगार इफील  
इकदम हाजिरी इकदम पैली ने खारिज की जगी  
है। पञ्जाब की निपानातुक्त दखिर कर्ना होना  
नाकर ले कर है।

~~उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़~~

